संख्या 970/2012/55(120)/xxvii(8)/01

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : **वित्त (अनुभाग–8)** **दिनांक : देहरादून : 6 ~~अक्टूबर,~~ नवम्बर 2012**

विषय : **उपखनिजों के सम्बन्ध में सीजन वर्ष 2012–2013 एवं 2013–2014 के लिये समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2437 दिनांक 04 सितम्बर, 2012 का सन्दर्भ लेना चाहें। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों (रेता, मोरंग, बजरी, बोल्डर, दड़ा आदि) की बिक्री करने वाली व्यापारिक इकाइयों/ प्रतिष्ठानों के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अर्न्तगत उपखनिजों की बिक्री पर देय कर के विकल्प के रूप में वर्ष 2012–2013 (सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013) एवं वर्ष 2013–2014 (सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014) के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस योजना को लागू किये जाने विषयक शासन के दिशा निर्देश, विकल्प प्रार्थना पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र के प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि समाधान योजना के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों, कार्यदायी इकाइयों/संस्थाओं, कर अधिवक्ता संघों व करदाताओं को जारी करने का कष्ट करें एवं योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

12463
7-11-12

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

Vividh Patra/Commissiner ko Presit/DT

अनुलग्नक–1

उत्तराखण्ड राज्य में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों (रेता, मोरंग, बजरी, बोल्डर, दड़ा आदि) की बिक्री करने वाली व्यापारिक इकाइयों/ प्रतिष्ठानों के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अर्न्तगत उपखनिजों की बिक्री पर देय कर के विकल्प के रूप में वर्ष 2012–2013 (सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013) एवं वर्ष 2013–2014 (सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014) के लिये समाधान राशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश।

कर निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों (रेता, मोरंग, बजरी, बोल्डर, दड़ा आदि) की बिक्री पर देय कर के विकल्प स्वरूप उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अर्न्तगत समाधान धनराशि का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकते हैं–

1– उत्तराखण्ड राज्य के वन क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों की बिक्री पर समाधान धनराशि निम्नप्रकार होगी–

(क)	रेता (जिसमें मोरंग भी शामिल है)	8.493 रु0 प्रति टन
(ख)	बजरी	6.817 रु0 प्रति टन
(ग)	बोल्डर(जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं)	6.075 रु0 प्रति टन
(घ)	दड़ा	5.784 रु0 प्रति टन

2– उत्तराखण्ड राज्य के वन क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों की बिक्री पर समाधान धनराशि निम्नप्रकार होगी–

(क)	रेता (जिसमें मोरंग भी शामिल है)	7.293 रु0 प्रति टन
(ख)	बजरी	7.285 रु0 प्रति टन
(ग)	बोल्डर(जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं)	5.118 रु0 प्रति टन

(नोटः सभी प्रकार के पत्थरों में, पत्थर, चूना पत्थर, सफेद पत्थर एवं कट स्टोन आदि शामिल हैं।)

3– समाधान धनराशि का भुगतान मासिक रूप से अगले माह की 25 तारीख तक किया जा सकेगा। समाधान धनराशि विलम्ब से जमा किये जाने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रत्येक त्रैमास में की गयी रेता, मोरंग, बजरी, बोल्डर और दड़ा की बिक्री के सम्बन्ध में विवरण भी निम्नलिखित प्रारूप में त्रैमास की समाप्ति के अगले माह की 25 तारीख तक (25 जनवरी, 25 अप्रैल, 25 जुलाई, 25 अक्टूबर) सम्बन्धित कार्यालय में दाखिल किया जायेगा–

प्रारूप

प्रतिष्ठान / फर्म का नाम सर्वश्री.....
अवधि .....दिनांक.....से ..... तक

विक्रीत माल का नाम	मात्रा	समाधान धनराशि की दर प्रति टन	समाधान धनराशि	बैंक का नाम व शाखा जिसमें राशि जमा की गई
रेता (जिसमें मोरंग भी शामिल है)				
बजरी				
बोल्डर(जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं)				
दड़ा				
			योग	

उक्त समाधान धनराशि रु0..... राजकीय कोष में चालान संख्या..... दिनांक.....द्वारा जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

प्रतिबन्ध यह है कि समाधान योजना जारी होने पर इससे पूर्व देय समाधान धनराशि योजना के अन्तर्गत विकल्प का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक हुये विलम्ब की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से सांधारण ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी तथा धनराशि जमा करने का साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि योजना आने से पूर्व उक्त प्रतिष्ठानों / फर्मों द्वारा यदि कोई धनराशि कर के रूप में जमा की जाती है परन्तु ऐसी धनराशि ग्राहकों से वैट के रूप में वसूल नहीं की गयी है तब इसका समायोजन देय समाधान धनराशि में किया जा सकेगा।

4– समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त कर द्वारा निर्देश जारी करने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर योजना अपनाने का विकल्प प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आयुक्त वाणिज्य कर यथोचित कारण युक्त मामले में समाधान योजना का विकल्प स्वीकार किये जाने के लिये समय बढ़ा सकेंगे।

5– यदि कोई व्यापारी / प्रतिष्ठान ऊपर निर्धारित समय के अन्तर्गत प्रार्थना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह उपरोक्त बिन्दु (5) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र नियत समय के बाद हुयी देरी के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा किये जाने के प्रमाण सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है।

6– समाधान योजना का विकल्प अपनाने वाला प्रतिष्ठान / फर्म माल के विक्रय पर वाणिज्य कर के रूप में कोई धनराशि नहीं वसूलेगा और उसके क्रय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यदि ग्राहक से कोई धनराशि वाणिज्य कर के रूप में वसूल की गयी है तो ऐसी

धनराशि मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा 40 के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और की गयी वसूली के लिये धारा 58 में कार्यवाही भी की जायेगी।

7– यह समाधान योजना वैकल्पिक है। समाधान योजना न अपनाने वाले प्रतिष्ठानों/फर्मों के विरूद्ध नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

8– समाधान योजना का विकल्प दिये जाने के बाद विकल्प वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

9– समाधान धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न किये जाने पर समाधान राशि की अवशेष, उस पर देय ब्याज और अर्थदण्ड की धनराशि यदि कोई आरोपित की गयी है, की वसूली उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार की जायेगी। ऐसी वसूली भू–राजस्व बकाया की भॉति की जा सकेगी। निर्धारित अवधि में समाधान धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में धारा 58(1) के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी।

10– समाधान योजना का विकल्प संलग्न प्रारूप में प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र/ अनुबन्ध के साथ सम्यक् रूप से भरा हुआ प्रस्तुत किया जायेगा। अन्य प्रारूप में विकल्प प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11– यदि किसी स्तर पर किसी समय यह पाया जाता है कि विकल्प प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य गलत अंकित किया गया है अथवा कोई विवरण छिपाये गये हैं तब कर निर्धारण अधिकारी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकते हैं तथा सम्पूर्ण वर्ष के लिये नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित कर सकेंगे।

12– समाधान योजना जारी होने की तिथि आयुक्त कर द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले परिपत्र की तिथि मानी जायेगी।

13– जो प्रतिष्ठान/ फर्म एक से अधिक जनपदों मे कार्य करते हैं वह अपने मुख्यालय की घोषणा कमिश्नर, वाणिज्य कर को करेंगे जिसकी प्रति सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारण प्राधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे अधिकारियों जहाँ पर उपखनिजों की बिक्री का कार्य होता है, को भी इस सम्बन्ध में सूचित करेंगे।

14– चूँकि यह समाधान योजना उपखनिजों के परिमाण पर आधारित है, अतः समय–समय पर विक्रीत उपखनिजों की मात्रा (वजन) एवं तुलाई मशीन (Weighing Bridge) की परिशुद्धता (Accuracy) की भी वाणिज्य कर के सक्षम अधिकारियों के साथ जाँच की जायेगी तथा गड़बड़ी पाये जाने पर समाधान योजना से बाहर करने के साथ–साथ मूल्य वर्धित कर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। मत भिन्नता की स्थिति में सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

5

विकल्प प्रार्थना पत्र

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

कर निर्धारण वर्ष
समाधान योजना की अवधि (सीजन वर्ष)
सेवा में,

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर(कर निर्धारण), वाणिज्य कर,
खण्ड

महोदय,

मैं सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (TIN) .....दिनाक .....से प्रभावी जारी किया गया है का स्वामी/साझीदार/प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक .....हूँ। मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त प्रतिष्ठान/फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने प्रतिष्ठान/फर्म द्वारा उपखनिजों की बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7(2) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है। उन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं उन्हीं के अधीन अब संलग्न शपथ पत्र अनुबन्ध के अनुसार समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ।

(2)– उक्त सीजन वर्ष के लिये धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प प्रार्थन पत्र देने की तिथि तक देय समाधान राशि(ब्याज सहित).....रु0 मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है जिसके चालान व प्रमाण पत्र संलग्न है और जिनका विवरण नीचे अंकित है:–

चालान का विवरण

चालान सं0	तिथि	राशि	बैंक का नाम व शाखा जिसमें राशि जमा की गई	संलग्न चालान नत्थी सं0

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

शपथ पत्र/अनुबन्ध

मैं.....पुत्र श्री.....आयु..... .....वर्ष.....स्थाई निवासी.....(पूरा नाम) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि:–

1– मैं फर्म सर्वश्री....., जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी/साझीदार/प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक..... .....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपने उक्त प्रतिष्ठान की ओर से सीजन वर्ष .....के लिये धारा 7(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2– मेरे प्रतिष्ठान के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत् है:–

नाम	पूरा पता	व्यवसाय की प्रकृति	खनन क्षेत्र का विवरण	
			वन क्षेत्र एवं नदी का नाम	वन क्षेत्र से भिन्न अन्य क्षेत्र एवं नदी का नाम
1– मुख्यालय				
2–शाखायें (अ) (ब) (स)				

3– मेरे प्रतिष्ठान/फर्म द्वारा बिक्रीत उपखनिजों (रेता, मोरंग, बजरी, बोल्डर, दड़ा) पर देय कर के विकल्प के रूप में निर्धारित समाधान धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये आदेशो एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी सही जानकारी मुझे व मेरे प्रतिष्ठान/फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे प्रतिष्ठान मे हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है।

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं। उसमें कोई भी तथ्य गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह सर्वश्री.....के स्वामी/साझीदार/प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक ....है तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

4– उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के उपबन्धों के अधीन समाधान योजना लागू हाने से अब तक देय समाधान धनराशि ब्याज सहित रु0..... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है। जिसका चालान व प्रमाण इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है।

5– अनुलग्नक–1 में अंकित निर्देशों तथा शर्तों को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और यह हमें व हमारे प्रतिष्ठान/फर्म में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है। यदि समाधान धनराशि की मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाती है तब मेरा प्रतिष्ठान/फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध में दी गई शर्तों का अनुपालन करने, शासन अथवा आयुक्त कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिये बाध्य होगा। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरे प्रतिष्ठान/फर्म के विरूद्ध कर सकेंगे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....